न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या: 11/72/2025 GCMS **संख्या:** 2025/320

दर्ज दिनांक: 25-07-2025 **निर्णय दिनांक:** 20-05-2026

1– बिमला पुत्री किशनलाल जाति भंगी निवासी ग्राम जोखावास तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार, कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2– गुलाबो पत्नी किशनलाल,
3– छीतर पुत्र किशनलाल,
4– थावरसिंह पुत्र किशनलाल,
5– बोडाराम पुत्र किशनलाल,
6– रमेश पुत्र किशनलाल,
7– सुमरलाल पुत्र किशनलाल जाति भंगी निवासी ग्राम जोखावास तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्व तहसीलदार, कोटकासिम नामान्तकरण संख्या 1173 वाके ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम निर्णय दिनांक 13.05.2016

उपस्थितिः

वकील अपीलान्ट

1– श्री विकास यादव

–ःनिर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, कोटकासिम द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1173 निर्णय दिनांक 13.05.2016 वाके ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 876/71 रकबा 0.9104 है0 दर्ज खाता 146 वाके ग्राम लालपुर में स्थित है, अपीलान्ट के पिता किशनलाल पुत्र बुधा की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी सम्भाग में अपीलान्ट व मृतक किशनलाल पुत्र बुधा के अन्य विधिक वारिसान को प्राप्त हुई।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

चूंकि मृतक किशनलाल पुत्र बुधा अपीलान्ट के पिता थे तथा विधिक वारिस होने के नाते मृतयु उपरान्त आराजी का नामान्तकरण अपीलान्ट व अन्य विधिक वारिसान रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगा0 7 के हक में सम्भाग में नामान्तकरण संख्या 1173 दर्ज होकर स्वीकार किया गया। लेकिन वक्त दर्ज करते नामान्तकरण अपीलान्ट को पीहर में गुडडो के नाम से जाना जाता है, भाईयो द्वारा पटवारी हल्का को नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए दिये आवेदन पत्र में अपीलान्ट का नाम बिमला के स्थान पर गुडडो लिख दिया गया। जबकि समस्त सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि में मेरा नाम बिमला ही दर्ज है। हल्का पटवारी द्वारा बिना जॉच किये ही नामान्तकरण संख्या 1173 दिनाक 13.05.2016 वाके ग्राम लालपुर कैम्प उजौली में दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व मे नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 03.07.2025 नकल प्राप्त करने पर हुई। जिस पर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है, अपील पेश किये जाने में जो समय गुजरा है, व जानकारी नही होने के कारण गुजरा है, जिसे कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पेश कर निवेदन है, अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जावे, अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टान बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुऐ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनाक 23.07.2025 को पेश की गयी है। जो करीब 09 वर्ष 9 माह पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 13.05.2016 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 03.07.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है।

अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 1173 वाके ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम में अपीलान्ट का नाम बिमला के स्थान पर गुडडो नाम अंकित है, अपीलान्ट को पीहर में गुडडो नाम से जाना जाता है, अपीलान्ट का सभी दस्तावेजो में नाम बिमला है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 1173 लालपुर तहसील कोटकासिम निर्णय दिनाक 13.05.2016 निरस्त किया जाकर तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्टान/रेस्पोडेन्टान को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी ज़ावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज.)